



Office of the Principal, Govt. College Dumariya (Jarhi), District. Surajpur, C.G.
कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय डुमरिया(जरही), जिला सूरजपुर, छ.ग.

Website : www.gcdj.ac.in e-mail : govtcollegejarhi@gmail.com 7692971278
college code- 3509

क्रमांक : 398 / स्था. / 2025-26

डुमरिया (जरही), दिनांक: 12 / 06 / 2025

// अतिथि व्याख्याता हेतु विस्तृत विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त उ.शि.संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक 574 / 126आउशि / राज / स्था 2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06 / 07 / 2024 एवं छ0ग0 शासन उच्च शिक्षा अनुसार शासकीय महाविद्यालय डुमरिया(जरही) में विषय अंग्रेजी सहा0 प्राध्यापक -01 पद, में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 27 / 06 / 2025 को सायं 5:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करे) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट :- विस्तृत विज्ञापन महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं महाविद्यालय की वेबसाइट <https://www.gcdj.ac.in/> में अपलोड किया गया है। जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-

- अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत अतिथि व्याख्याता / शिक्षण सहायता / ग्रंथपाल सहायक क्रीड़ाधिकारी सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना चाहिए।
- आयु सीमा :- अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल / अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथपाल सहायक / क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
-

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या
		सहा0 प्राध्यापक
1.	अँग्रेजी	01

टीप:- संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्त:-

1. आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण-पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल., पी.एच.डी. अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
2. दिनांक:- 27.06.2025 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाइन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में ऑनलाइन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक...30.06.2025..को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि..01.07.2025..तक होगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक...03..07.2025...को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाइट अथवा सूचना पटल में किया जावेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना हो कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है। एवं पूर्व में किसी महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त नहीं की गई है।
8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है तो उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. अतिथि व्यवस्था के अन्तर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा:-
- 11.

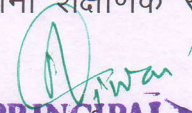
क्रं.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षक सहायक
-------	-------	------------------	--------------------

(अ) 40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये

1.	40-45 मिनट एक व्याख्यान के लिये	400/-	300/-
2.	चर कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/- (41600/-प्रतिमाह अधिकतम)	1200/-(30000/- प्रतिमाह अधिकतम)

3.	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500 /—	350 /—
4.	चार कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000 /—(50000 /—प्रतिमाह अधिकतम)	1400 /— (35000 /—प्रतिमाह अधिकतम)
(स) 60 दैनिक मानदेय			
5.	विवरण	1600 /— प्रतिदिन	1200 /— प्रतिदिन
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य दिवस)	(40000 /—प्रतिमाह अधिकतम)	(30000 /—प्रतिमाह अधिकतम)

12. आवेदक बंद लिफाफा के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय डुमरिया (जरही) जिला— सूरजपुर (छ0ग0) एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें।
13. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गये अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माना जावेगा और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अन्तर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।
14. संस्थान में इस व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
15. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
16. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियों, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
17. कंडिका 16 में दर्शित विभिन्न प्रकार की अतिरिक्त कार्यों के लिए प्रति कार्य दिवस 01 कालखंड मानकर माह में अधिकतम 20 कालखंडों का भुगतान किया जायेगा।
18. अतिरिक्त कार्यों के लिये अतिथि व्याख्याता को प्रति कार्य दिवस 400 /— रु. एवं 01 माह में अधिकतम 20 कार्यों के दिवसों के लिए 8000 /— रु. देय होगा किन्तु किसी भी स्थिति में अध्यापन कालखंड हेतु मानदेय एवं अतिरिक्त कार्यों हेतु मानदेय को मिलाकर भुगतान की अधिकतम सीमा 50000 /रु. होगी। अतिथि शिक्षण सहायक को प्रति कार्य दिवस 300 /— रु. एवं 01 माह में अधिकतम 20 कार्य दिवसों के लिए 6000 /— देय होगा।
19. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सेवाएं समाप्त की जा सकेगी वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।


PRINCIPAL
 प्राचार्य,
 Govt. College Dumarha (Jarhi)
 (डा. अशोक तिवारी)
 Dist. Surajpur (C.G.)
 शासकीय महाविद्यालय डुमरिया (जरही)
 जिला— सूरजपुर(छ.ग.)